भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3234
सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

कृषि/औद्योगिक रोजगार

3234. श्री रितेश पाण्डेयः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान कृषि और औद्योगिक रोजगार के क्षेत्रों में रोजगार में कमी आई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;
(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रवार रोजगार के कितने अवसरों का सृजन हुआ है;
(घ) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करने के लिए क्या लक्ष्य तय किए गए हैं तथा उक्त प्रयोजनार्थ किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है; और
(ङ) उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की कार्य-योजना क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से इकट्ठे किए जा रहे हैं। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, देश में, व्यापक उद्योग विभाजन का सामान्य स्थिति आधार पर कामगारों का प्रतिशत वितरण इस प्रकार हैः

एनआईसी 2008 के अनुसार व्यापक उद्योग विभाजन	2018-19	2019-20
कृषि	42.5	45.6
खनन और उत्खनन	0.4	0.3
विनिर्माण	12.1	11.2
विद्युत, जल आदि	0.6	0.6
निर्माण	12.1	11.6
व्यापार, होटल और रेस्तरां	12.6	13.2
परिवहन, भंडारण और संचार	5.9	5.6
अन्य सेवाएं	13.8	11.9
समस्त	100.0	100.0

(ग) से (ड.): वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक के व्यक्तियों के लिए अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 46.8%, 47.3% एवं 50.9% है और कार्य के व्यापक उद्योग द्वारा चालू साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के अनुसार, कार्य करने वाले व्यक्तियों का क्षेत्र-वार अनुमानित प्रतिशत वितरण निम्नानुसार है:

प्रमुख क्षेत्रों का कार्यबल	2017-18	2018-19	2019-20
प्राथमिक	42.4	40.2	43.7
माध्यमिक	24.9	25.7	23.5
तृतीयक	32.6	34.2	32.8

देश में युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है।

भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित नए रोजगार के सृजन तथा रोजगार की पुनःबहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) 1 अक्तूबर, 2020 से आरंभ की गई है। योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 किया गया है।

पीएम स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड़ पश्च अवधि के दौरान फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए, सरकार देश में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है

******